

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल


क्रमांक/बोर्ड/वित्तीय/प्रशा.अधि./14-15/1767

भोपाल, दिनांक 13.07.2018

आदेश

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बोर्ड/वित्तीय/प्रशा.अधि./14 15/1324 दिनांक 07.03.2015, 1841 दिनांक 07.09.2015, 1843 दिनांक 07.09.2015 एवं 2870, दिनांक 31.03.2016 में उल्लेखित वित्तीय अधिकारों के आदेशों को निरस्त करते हुए मैं फैज अहमद किदवई, प्रबंध संचालक सह आयुक्त, तवीन वित्तीय अधिकारों की कंडिका 01 लगायत 74 में वर्णित वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित करता हूँ।

उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।


(फैज अहमद किदवई)


प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/वित्तीय/प्रशा.अधि./14-15/1768

भोपाल, दिनांक 13.07.2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. विशेष सहायक, माननीय अध्यक्ष, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
02. निज सचिव, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
03. अपर संचालक (समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
04. प्रमुख अभियंता, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
05. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल
06. संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री (समस्त), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
07. समस्त संयुक्त संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल/ऑचलिक कार्यालय.....
08. समस्त कार्यपालन यंत्री, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल/ऑचलिक कार्यालय.....
09. समस्त कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल/ऑचलिक कार्यालय.....
10. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक/लेखाधिकारी, मंडी बोर्ड, भोपाल
11. समस्त पटल प्रभारी/आदेश नस्ती, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की आंग पालनार्थ।


प्रबंध संचालक सह आयुक्त

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार

क्र	मद	प्राधिकारी जिसे अधिकार प्रत्यायोजित किए जाने हैं।	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
01	आहरण संवितरण अधिकारी घोषित करने का अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	
02	वेतन, भत्ते पारित करने के अधिकार	अपर संचालक(वित्त) संयुक्तसंचालक/उप संचालक ऑंचलिक कार्यालय कार्यपालन यंत्रों, तकनीकी कार्यालय	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार (अपने ऑंचलिक कार्यालय हेतु) पूर्ण अधिकार (बजट प्रावधान के अंतर्गत)	बजट प्रावधानानुसार
03	सक्षम स्वीकृति उपरान्त वेतनवृद्धि/वेतनमान/सम्यमान वेतनमान के एरियर/बकाया दावों के भुगतान की स्वीकृति के अधिकार	अपर संचालक(वित्त) संयुक्तसंचालक/उप संचालक ऑंचलिक कार्यालय कार्यपालन यंत्रों, तकनीकी कार्यालय	पूर्ण अधिकार (स्वयं को छोड़कर) पूर्ण अधिकार (ऑंचलिक कार्यालय में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों एवं मंडी समितियों में पदस्थ राज्य मंडी बोर्ड सेवा तक, स्वयं को छोड़कर) पूर्ण अधिकार(तकनीकी कार्यालय में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों तक स्वयं को छोड़कर)	सेवा विनियम, शासन के नियमों एवं बजट प्रावधानानुसार
04	पेशन/परिवार पेशन/ग्रेच्युटी एवं पेशनरी परिलाभों के स्वीकृति/भुगतान के अधिकार	अपर संचालक(वित्त)	पूर्ण अधिकार	सेवा विनियम, शासन के नियमों एवं बजट प्रावधानानुसार
05	अवकाश नगदीकरण का अंतिम भुगतान स्वीकृति करने के अधिकार	अपर संचालक(कार्मिक) संयुक्तसंचालक/उप संचालक ऑंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार (मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों) पूर्ण अधिकार (मंडी समितियों में पदस्थ राज्य मण्डी सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए)	सेवाविनियम,शासन के नियमों,भविष्य निधि/सी.पी.एफ. नियमों एवं बजट प्रावधानानुसार

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार

क्र	मद	प्राधिकारी जिसे अधिकार प्रत्यायोजित किए जाने है।	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
		कार्यपालन यंत्री, तकनीकी कार्यालय	पूर्ण अधिकार (अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए)	
06	सेवानिवृत्ति/त्याग पत्र/मृत्यु/पदच्युति पर देय भविष्य निधि/सी.पी.एफ का अंतिम भुगतान स्वीकृत करने के अधिकार	अपर संचालक(वित्त)	पूर्ण अधिकार	सेवा विनियम, शासन के नियमों, भविष्य निधि/सी.पी.एफ नियमों एवं बजट प्रावधानानुसार
07	अन्तरिम राहत, महंगाई भत्ता, जो शासन घोषित करें व अन्य भत्ते स्वीकृत करने के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	सेवा विनियम, शासन नियमों एवं बजट प्रावधानानुसार
08	एकसंग्रेसिया व परिवार कल्याण निधि व समूह बीमा योजना संबंधी भुगतानों की स्वीकृति	अपर संचालक	पूर्ण अधिकार(प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी)	सेवा विनियम, मध्य प्रदेश पेशन नियम एवं बजट प्रावधानानुसार
		संयुक्त संचालक	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु पूर्ण अधिकार	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार (अधीनस्थों के लिए)	
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	पूर्ण अधिकार (अधीनस्थों के लिए)	
09	भविष्य निधि अग्रिम व आंशिक विकर्षण विकर्षण स्वीकृति के अधिकार	अपर संचालक(वित्त)	पूर्ण अधिकार	बोर्ड के जारी दिशा निर्देश एवं शासन के नियमानुसार
		उप संचालक (मुख्यालय)	पूर्ण अधिकार (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी)	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार (मंडी समितियों में पदस्थ राज्य मण्डी सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए)	
10	भुगतान करने हेतु चेक पर हस्ताक्षर करने का	अपर संचालक(वित्त)	पूर्ण अधिकार	सेवाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार

क्र	मद	प्राधिकारी जिसे अधिकार प्रत्यायोजित किए जाने हैं।	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
	अधिकार	संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार	संयुक्त संचालक एवं सहायक लेखाधिकारी/लेखापाल/अन्य अधिकृत के संयुक्त हस्ताक्षर से
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	पूर्ण अधिकार	कार्यपालन यंत्री एवं सहायक लेखाधिकारी/लेखापाल/कनिष्ठ अंकेक्षक/अन्य अधिकृत के संयुक्त हस्ताक्षर से
11	विशेष वेतन स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	सेवा विनियम एवं बजट प्रावधानानुसार
12	प्रदेश के बाहर विभागीय यात्रा की अनुमति	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	सेवा विनियम एवं बजट प्रावधानानुसार
13	प्रदेश के अन्दर विभागीय यात्रा के अधिकार तथा लॉजिंग, बॉर्डिंग, यात्रा टिकट निरस्तीकरण एवं प्रसांगिक व्यय स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार (प्रथम श्रेणी के लिये)	सेवा विनियम एवं बजट प्रावधानानुसार
		अपर संचालक (वित्त)	पूर्ण अधिकार (द्वितीय श्रेणी तक)	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	अधिनस्थो के लिए पूर्ण अधिकार	
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	अधिनस्थो के लिए पूर्ण अधिकार	
14	यात्रा अग्रिम स्वीकृति के अधिकार	अपर संचालक	पूर्ण अधिकार (स्वयं को छोड़कर)	सेवा विनियम एवं बजट प्रावधानानुसार
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार (स्वयं को छोड़कर)	
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	पूर्ण अधिकार (तकनीकी कार्यालय के लिए)	
15	यात्रा देयक एवं चिकित्सा देयकों की स्वीकृति के अधिकार	अपर संचालक (वित्त)	पूर्ण अधिकार (स्वयं को छोड़कर)	सेवा विनियम, मध्य प्रदेश यात्रा भत्ता नियमों एवं बजट
		उप संचालक, मुख्यालय	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी तक	

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार

क्र	मद	प्राधिकारी जिसे अधिकार प्रत्यायोजित किए जाने है।	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
		संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार (स्वयं को छोड़कर अधिनस्थों के लिए)	प्रावधानानुसार
		कार्यपालन यंत्री, तकनीकी कार्यालय	पूर्ण अधिकार (स्वयं को छोड़कर)	
16	चिकित्सा अग्रिम स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार (प्रथम श्रेणी एवं राज्य के बाहर के प्रकरणों हेतु)	सेवा विनियम एवं बोर्ड के दिशा निर्देशों एवं मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा के नियमानुसार
		अपर संचालक	पूर्ण अधिकार (राज्य के अन्दर द्वितीय श्रेणी तक)	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार (अधीनस्थों के लिए राज्य के अन्दर)	
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	पूर्ण अधिकार (अधीनस्थों के लिए राज्य के अन्दर)	
17	निर्धारित समयावधि के पश्चात् चिकित्सा/यात्रा प्रतिपूर्ति का देयक प्रस्तुत करने पर अनुमति देने का अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	सेवा विनियम एवं बोर्ड के दिशा निर्देशों एवं मध्य प्रदेश चिकित्सा/यात्रा भत्ता के अनुसार
18	विदेश अध्ययन यात्रा	अध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	म.प्र.शासन के आदेशानुसार
19	त्यौहार एवं अनाज अग्रिम स्वीकृति के अधिकार	संयुक्त संचालक मुख्यालय	पूर्ण अधिकार (अधीनस्थों तक)	सेवा विनियम, मध्य प्रदेश शासन के नियमों एवं बजट प्रावधानानुसार
		उपसंचालक/संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार (अधीनस्थों तक)	
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	पूर्ण अधिकार (अधीनस्थों तक)	
20	कार्यालयीन अग्रिम स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	सेवा विनियम एवं बजट प्रावधानानुसार
		अपर संचालक (वित्त)	रूपये पचास हजार तक एक समय में	
		संयुक्त संचालक/उपसंचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार रूपये बीस हजार तक एक समय में	

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार

क्र.	मद	प्राधिकारी जिसे अधिकार प्रत्यायोजित किए जाने हैं।	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	पूर्ण अधिकार रूपये बीस हजार तक एक समय में	
21	आकस्मिक एवं विविध व्यय स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	सेवा विनियम एवं बजट प्रावधानानुसार तदैव बजट प्रावधान/ वित्तीय नियम एवं मण्डी बोर्ड द्वारा समय समय जारी दिशा निर्देशानुसार
		अपर संचालक	रूपये पचास हजार तक एक समय में (अधिकतम वार्षिक व्यय रूपये चार लाख की सीमा तक)	
		मुख्य अभियंता	रूपये पचास हजार तक एक समय में (अधिकतम वार्षिक व्यय रूपये चार लाख की सीमा तक)	
		संयुक्त संचालक, मुख्यालय	रूपये बीस हजार तक एक समय में (अधिकतम वार्षिक व्यय रूपये एक लाख की सीमा तक)	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	रूपये बीस हजार तक एक समय में (अधिकतम वार्षिक व्यय रूपये एक लाख पचास हजार की सीमा तक)	
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	रूपये बीस हजार तक एक समय में (अधिकतम वार्षिक व्यय रूपये एक लाख पचास हजार की सीमा तक)	
22	कार्यालय के मशीनरी एवं उपकरण किराये पर देने के अधिकार	अपर संचालक	पूर्ण अधिकार	सेवा विनियम एवं बजट प्रावधानानुसार
		मुख्य अभियंता	पूर्ण अधिकार(केवल निर्माण कार्य संबंधी मशीनरी एवं उपकरणों हेतु)	
23	कार्यालयीन कार्य हेतु मशीनरी एवं उपकरण किराये पर लेने के अधिकार	अपर संचालक	पूर्ण अधिकार	भण्डार क्रय नियम, मण्डी बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं बजट प्रावधान अनुसार
		मुख्य अभियंता	पूर्ण अधिकार (केवल निर्माण कार्य संबंधी मशीनरी	

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार

क्र	मद	प्राधिकारी जिसे अधिकार प्रत्यायोजित किए जाने है।	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
			एवं उपकरणों हेतु)	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार	मण्डी बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार
		कार्यपालन यंत्रों तकनीकी कार्यालय	पूर्ण अधिकारी	
24	बोर्ड के वाहन के टायर-ट्यूब, बेटरी, पेट्रोल, आइल क्रय की स्वीकृति के अधिकार	अपर संचालक	पूर्ण अधिकार(परिवहन विभाग द्वारा कार्यालय प्रमुख के लिए निर्धारित सीमा तक)	
		संयुक्त संचालक, मुख्यालय	पूर्ण अधिकार(परिवहन विभाग द्वारा कार्यालय प्रमुख के लिए निर्धारित रूपये पचास हजार सीमा तक)	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार(परिवहन विभाग द्वारा कार्यालय प्रमुख के लिए निर्धारित सीमा तक)	
		कार्यपालन यंत्रों तकनीकी कार्यालय	पूर्ण अधिकार(परिवहन विभाग द्वारा कार्यालय प्रमुख के लिए निर्धारित सीमा तक)	बजट प्रावधान/भंडार क्रय नियम एवं मण्डी बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार
25	बोर्ड के वाहन की मरम्मत के व्यय की स्वीकृति के अधिकार	अपर संचालक	पूर्ण अधिकार (शासन की निर्धारित सीमा तक)	राज्य शासन एवं मण्डी बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार (शासन की निर्धारित सीमा तक)	
		कार्यपालन यंत्रों तकनीकी कार्यालय	पूर्ण अधिकार(शासन की निर्धारित सीमा तक)	
26	बोर्ड हेतु वाहन क्रय के भुगतान की स्वीकृति के अधिकार	अध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधानानुसार
		प्रबंध संचालक	रूपये पन्द्रह लाख तक एक समय में	

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार

क्र.	मद	प्राधिकारी जिसे अधिकार प्रत्यायोजित किए जाने है।	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
27	कार्यालयीन पुराने वाहनों को कण्डम घोषित करना एवं नीलामी के अधिकार	प्रबंध संचालक संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार	शासन के नियमानुसार
28	अनुपयोगी सामग्री/मशीन /उपकरणों को कण्डम घोषित करना एवं नीलामी के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	शासन के नियमानुसार
		अपर संचालक	पूर्ण अधिकार रूपये एक लाख की सीमा तक	
		मुख्य अभियंता	पूर्ण अधिकार रूपये एक लाख की सीमा तक	निर्माण कार्य संबंधी उपकरण एवं मशीन हेतु
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	रूपये पचास हजार तक एक प्रकरण में	आंचलिक कार्यालय की सीमा तक शासन के नियमानुसार
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	रूपये पचास हजार तक एक प्रकरण में	
29	डेमरेज व्यय की स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	राज्य शासन एवं मण्डी बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार
		अपर संचालक	रूपये पचास हजार तक एक समय में	
		मुख्य अभियंता	रूपये पचास हजार तक एक समय में (केवल निर्माण सामग्री हेतु)	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	रूपये पच्चीस हजार तक एक वर्ष में	
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	पच्चीस हजार तक एक समय में	
30	मृत स्कंध के अपलेखन व नीलामी/विक्रय के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	शासन के नियमानुसार
		अपर संचालक	रूपये पिछ्तर हजार तक एक समय में	
		संयुक्त संचालक, मुख्यालय	रूपये पचास हजार तक एक समय में	

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार

क्र	मद	प्राधिकारी जिसे अधिकार प्रत्यायोजित किए जाने हैं।	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	रूपये पचास हजार तक एक समय में	मण्डी बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	रूपये पचास हजार तक एक समय में	
31	हानि के अपलेखन करने के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	राज्य शासन एवं मण्डी बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार
		अपर संचालक	रूपये पचास हजार तक एक समय में	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	रूपये दस हजार तक एक समय में	
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	रूपये दस हजार तक एक समय में	
32	कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर संबंधी समस्त सामग्री, फैंक्स, केलकुलेटर फोटोकॉपी, इन्वर्टर, इन्वर्टर की बैटरी टेलीफोन कार्यालयीन उपकरण, आदि क्रय करने की स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	वित्तीय एवं बजट प्रावधान के अंतर्गत भण्डार क्रय नियम अनुसार
		अपर संचालक	रूपये दो लाख तक एक वर्ष में	
		संयुक्त संचालक, मुख्यालय	रूपये एक लाख तक एक वर्ष में	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	रूपये पिच्छतर हजार तक एक वर्ष में	
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	रूपये पिच्छतर हजार तक एक वर्ष में	
33	फर्नीचर, ए.सी., कूलर, पंखे, वाटर कूलर, फ्रिज वाटर प्यूरीफायर, टी.व्ही.डिशा आदि क्रय करने की स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधानानुसार एवं भण्डार क्रय नियम तथा मण्डी बोर्ड के निर्देशानुसार
		अपर संचालक	रूपये एक लाख पचास हजार तक एक वर्ष में	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक कार्यालय	रूपये पिच्छतर हजार एक वर्ष में	
		कार्यपालन यंत्री (तकनीकी) आंचलिक कार्यालय	रूपये पिच्छतर हजार तक प्रतिवर्ष (तकनीकी कार्यालय हेतु)	

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार

क्र.	भद	प्राधिकारी जिसे अधिकार प्रत्यायोजित किए जाने है।	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
34	भण्डार के लिए विविध सामग्री क्रय की स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	भद में स्टेशनरी, ए.सी. फर्नीचर, कूलर, पंखे, वाटर कूलर, फ्रिज, कम्प्यूटर एवं सह उपकरण संबंधी, प्रिंटर, फेक्स, फोटो कापी, इन्वर्टर, बैटरी, टेलीफोन, डायरी कैलेण्डर, पुस्तक -पत्रिकाव्यय सम्मिलित नहीं है। बजट प्रावधान एवं भण्डार क्रय नियमों के अनुसार
		अपर संचालक	रूपये पाँच लाख तक प्रतिवर्ष	
		संयुक्त संचालक, मुख्यालय	रूपये दो लाख तक प्रतिवर्ष	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	रूपये एक लाख तक प्रतिवर्ष	
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	रूपये एक लाख तक प्रतिवर्ष (तकनीकी स्वरूप के व्यय हेतु)	
35	स्टेशनरी सामग्री क्रय के अधिकार	अपर संचालक	पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधान, वित्तीय एवं भण्डार क्रय नियमानुसार
		संयुक्त संचालक, मुख्यालय	रूपये पच्चीस हजार तक एक समय में	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	रूपये पच्चीस हजार तक एक समय में	
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	रूपये पच्चीस हजार तक एक समय में (तकनीकी कार्यालय हेतु)	
36	फार्म, रजिस्टर आदि मुद्रण कराने के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधान, वित्तीय एवं भण्डार क्रय नियम तथा मण्डी बोर्ड के निर्देशानुसार
		अपर संचालक	रूपये दो लाख तक एक समय में	
		संयुक्त संचालक, मुख्यालय	रूपये पच्चीस हजार तक एक समय में	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	रूपये पच्चीस हजार तक एक समय में	
		कार्यपालन यंत्री (तकनीकी) आंचलिक कार्यालय	रूपये पच्चीस हजार तक एक समय में (तकनीकी कार्यालय हेतु)	
37	कार्यालय की समस्त मशीनरी/उपकरणों की मरम्मत व्यय स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधान एवं वित्तीय नियमों के अनुसार
		अपर संचालक	रूपये दो लाख तक प्रतिवर्ष	

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार

क्र	मद	प्राधिकारी जिसे अधिकार प्रत्यायोजित किए जाने है।	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
		संयुक्त संचालक, मुख्यालय	रूपये पच्चीस हजार तक प्रतिवर्ष	बजट प्रावधान एवं वित्तीय नियम एवं बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	रूपये पच्चीस हजार तक प्रतिवर्ष बजट प्रावधानानुसार	
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	रूपये पच्चीस हजार तक प्रतिवर्ष (तकनीकी कार्यालय हेतु)	
38	मशीन एवं उपकरण के वार्षिक रख-रखाव के व्यय की स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	बोर्ड एवं शासन के नियम निर्देश तथा बजट प्रावधानानुसार
		अपर संचालक	रूपये दो लाख तक की सीमा तक प्रति आयटम	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	रूपये एक लाख तक की सीमा तक प्रति आयटम आंचलिक कार्यालय हेतु	
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग	रूपये एक लाख तक की सीमा तक तकनीकी कार्यालय हेतु प्रति आयटम	
39	पुस्तकें, पत्र, पत्रिकाएँ विधि तथा अन्य कार्यालयीन पुस्तकें मुद्रण /प्रकाशन /क्रय करने के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधानानुसार एवं वित्तीय नियमों के अनुसार
		अपर संचालक	रूपये दो लाख तक वार्षिक सीमा तक	
		संयुक्त संचालक, मुख्यालय	रूपये पन्द्रह हजार तक प्रतिवर्ष	बजट प्रावधान/वित्तीय नियम एवं मण्डी बोर्ड द्वारा समय-समय जारी दिशा-निर्देशानुसार
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	रूपये पन्द्रह हजार तक प्रतिवर्ष	
		कार्यपालन यंत्री (तकनीकी) आंचलिक कार्यालय	रूपये पन्द्रह हजार तक प्रतिवर्ष (तकनीकी कार्यालय हेतु)	
40	साइकिल क्रय करने के अधिकार	अपर संचालक	पूर्ण अधिकार	शासन के नियम एवं बजट प्रावधानानुसार
		संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार	

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार

क्र	मद	प्राधिकारी जिसे अधिकार प्रत्यायोजित किए जाने है।	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
		कार्यपालन यंत्री, तकनीकी कार्यालय	पूर्ण अधिकार	
4	निविदा विज्ञापित प्रकाशन व्यय के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकारी	मण्डी बोर्ड एवं शासन के जारी दिशा निर्देशों तथा बजट प्रावधान के अंतर्गत
		अपर संचालक	पूर्ण अधिकारी	
		मुख्य अभियंता	पूर्ण अधिकार (निर्माण कार्य से संबंधित निविदा प्रकाशन हेतु)	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार (आंचलिक कार्यालय हेतु)	
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	पूर्ण अधिकार (तकनीकी कार्यालय हेतु)	
4	विज्ञापन जारी करने की स्वीकृति के अधिकार	अध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधानानुसार
		प्रबंध संचालक	रूपये पच्चीस हजार तक एक समय में	
4	प्रचार-प्रसार की अनुमति के तथा व्यय स्वीकृति के अधिकार	अध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधानानुसार एवं वित्तीय नियमों के अनुसार
		प्रबंध संचालक	रूपये दो लाख तक एक समय में	
		अपर संचालक	रूपये पचास हजार तक एक समय में	
4	कार्यालयीन भवन, गैरेज, शोरूम व अतिथि गृह किराये पर लेने के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधानानुसार एवं वित्तीय नियमों के अनुसार
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार	
4	राज्य के अन्दर बोर्ड हित में उच्च अधिकारियों /विशिष्ट व्यक्तियों के लिए स्वागत/बैठक एवं समसामायिक आयोजित बैठक व्यय की स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधानानुसार, बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा तक
		अपर संचालक	रूपये पचास हजार तक एक समय में	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	रूपये बीस हजार सीमा तक प्रति बैठक	

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार

क्र.सं.	व्यय	प्राधिकारी जिसे अधिकार प्रत्यायोजित किए जाने हैं।	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
46	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व वाहन चालकों की वर्दी क्रय की स्वीकृति के अधिकार	अपर संचालक	पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधानानुसार, भण्डार क्रय एवं वित्तीय नियमों के अनुसार
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार (अधिनस्थों के लिए)	
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	पूर्ण अधिकार (तकनीकी कार्यालय हेतु)	
47	मंडियों को ऋण व अनुदान स्वीकृति के अधिकार	अध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधान अनुसार
48	स्वीकृति बजट के अंतर्गत विनियोजन/पुनर्विनियोजन के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	वित्तीय नियमानुसार
49	पोस्टेज व स्टाम्प व्यय स्वीकृति के अधिकार	अपर संचालक	पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधानानुसार
		संयुक्त संचालक, मुख्यालय	रूपये दस हजार तक एक समय में	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार(आंचलिक कार्यालय)	
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	पूर्ण अधिकार (तकनीकी कार्यालय हेतु)	
50	जलकर, विद्युत देयक के व्यय की स्वीकृति के अधिकार	अपर संचालक	पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधान एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप
		संयुक्त संचालक, मुख्यालय	रूपये चार लाख तक एक समय में	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार (आंचलिक कार्यालय हेतु)	
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	पूर्ण अधिकार (तकनीकी कार्यालय हेतु)	

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार

क्र	मद	प्राधिकारी जिसे अधिकार प्रत्यायोजित किए जाने है।	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
51	आपात एवं तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु बिना टेंडर के कार्य कराने के अधिकार भूकंप, बाढ़ अग्निकांड आदि प्राकृतिक आपदा के कारण निर्मित आवश्यकता	अध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	बोर्ड एवं शासन के नियम निर्देश तथा बजट प्रावधानानुसार
		प्रबंध संचालक	रूपये एक लाख तक एक समय में	
		अपर संचालक	रूपये पचास हजार तक एक समय में	
		मुख्य अभियंता	रूपये पचास हजार तक निर्माण कार्य हेतु	
52	उर्वरक देयक, उर्वरक परिवहन एवं उर्वरक भण्डारण, मण्डी/मण्डी बोर्ड के कर्मचारियों को उर्वरक कार्य के लिए मार्जिन/बोनस की स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	
53	खेल सामग्री/शुल्क के देयक स्वीकृत करने के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधान एवं वित्तीय चियमों के अनुसार
		अपर संचालक	रूपये एक लाख तक एक समय में	
54	बीमा व्यय, भू-भाटक कर एवं लगेज व्यय स्वीकृत करने के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधान एवं वित्तीय नियमों के अनुसार तथा बोर्ड आंचलिक कार्यालय/बोर्ड आवासीय भवनों के भू-भाटक तक सीमित
		अपर संचालक	रूपये दो लाख तक एक समय में	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार (आंचलिक कार्यालय हेतु)	
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	पूर्ण अधिकार (कार्यपालन कार्यालय हेतु)	
55	धरोहर राशि की वापसी	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	राज्य शासन एवं मण्डी बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार
		अपर संचालक	रूपये दो लाख सीमा तक	
		मुख्य अभियंता	रूपये दो लाख सीमा तक	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	रूपये एक लाख सीमा तक आंचलिक कार्यालय हेतु	

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार

क्र.	मद	प्राधिकारी जिसे अधिकार प्रत्यायोजित किए जाने हैं।	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
		कार्यपालन यंत्रों तकनीकी कार्यालय	रूपये एक लाख सीमा तक (तकनीकी कार्यालय हेतु)	
56	प्रशिक्षण एवं सम्मेलन व्यय की स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधान एवं वित्तीय नियमानुसार
		अपर संचालक	रूपये एक लाख तक की सीमा तक (राज्य के अन्दर)	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	रूपये पचास हजार तक (वार्षिक) (संभाग के अन्दर)	बजट प्रावधान एवं वित्तीय नियमों के अनुसार (संभाग के अंदर)
57	विपणन कार्य से संबंधित अनुसंधान/सर्वेक्षण पर व्यय	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधान एवं वित्तीय नियमानुसार
58	टेलीफोन संस्थापन व्यय की स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	शासन के नियम तथा बजट प्रावधान अनुसार
		अपर संचालक	पूर्ण अधिकार (शासन द्वारा निर्धारित सीमा तक)	
59	मेला, प्रदर्शनी, स्टॉल व्यय की स्वीकृति	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधान एवं वित्तीय नियमों के अनुसार
		मुख्य अभियंता	रूपये एक लाख तक एक समय में	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	रूपये पचास हजार तक वार्षिक (संभाग के अन्दर)	
60	अनुबंध का निष्पादन	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	राज्य शासन एवं मण्डी बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार (निर्माण कार्य को छोड़कर)	
		कार्यपालन यंत्रों तकनीकी कार्यालय	पूर्ण अधिकार (निर्माण कार्य हेतु)	
61	शुल्क/कमीशन स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधान एवं वित्तीय नियमों के अनुसार
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार	

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार

क्र.	मद	प्राधिकारी जिसे अधिकार प्रत्यायोजित किए जाने है।	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
62	कैंटीन/कल्याण व्यय स्वीकृति के अधिकार	अपर संचालक	पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधानानुसार
63	राज्य के अन्दर/बाहर बोर्ड के हित में बैठक/सेमीनार/सम्मेलन/संगोष्ठी पोषित या आयोजित/प्रवर्तित करना तथा उसमें हुये भोजन, स्वल्पाहार, उहरने व प्रासंगिक व्यय की स्वीकृति देना।	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	मुख्यालय के जारी निर्देश तथा बजट प्रावधान एवं वित्तीय नियमों के अनुसार
64	मुख्यालय/आंचलिक/तकनीकी आंचलिक कार्यालय की साफ सफाई के ठेके स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	(अ.) भण्डार क्रय नियम, बजट प्रावधान एवं वित्तीय नियमों के अनुसार (ब.) पूर्व की स्वीकृत दर से 10 प्रतिशत अधिक दरें प्राप्त होने पर प्रकरण की स्वीकृति मण्डी बोर्ड से प्राप्त की जाना होगी।
65	सम्पत्ति कर/आयकर/सेवाकर एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य कर	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	
		अपर संचालक	रूपये एक लाख तक एक समय में	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार (बजट प्रावधान के अंतर्गत)	
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	पूर्ण अधिकार (बजट प्रावधान के अंतर्गत) (तकनीकी कार्यालय हेतु)	
66	उपादान प्रीमियम भुगतान स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधान एवं मण्डी बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार
6	कार्यालय/आवास/टेलीफोन व्यय, ई.पी.बी.एक्स एवं मोबाईल प्रतिपूर्ति स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	
		अपर संचालक	मण्डी बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा तक	
		संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	मण्डी बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा तक	

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार

क्र	मद	प्राधिकारी जिसे अधिकार प्रत्यायोजित किए जाने है।	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
		कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय	मण्डी बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा तक	
68	वित्तीय, विधिक, प्रबंधकीय परामर्शदाता एवं सलाहकार अधिवक्ता तथा न्यायालयीन व्यय की स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक अपर संचालक संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार प्रति प्रकरण रूपये पच्चीस हजार तक पूर्ण अधिकार प्रति प्रकरण पंद्रह हजार तक पूर्ण अधिकार	बजट प्रावधानानुसार
69	बैंक खाता खोलने की स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार
70	बैंक खातों में जमा राशि के विनियोजन/पुनर्विनियोजन के अधिकार	अपर संचालक (वित्त) संयुक्त संचालक/उप संचालक आंचलिक कार्यालय	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार	मंडी अधिनियम के निर्धारित प्रभावधानों के अंतर्गत
71	बोर्ड द्वारा विनियोजित सावधी का समय पूर्व नगरीकरण की स्वीकृति के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	
72	शासन द्वारा निर्धारित समस्त कर पर देय पेनाल्टी व्यय की स्वीकृति के अधिकार	अपर संचालक(वित्त)	पूर्ण अधिकार	
73	धरोहर राशि राजसात करने के अधिकार	प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार	
74	बोर्ड सदस्यों को यात्रा को अनुमति के अधिकार एवं यात्रा देयक स्वीकृति	अध्यक्ष प्रबंध संचालक	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार	

व्याख्या/टिप्पणीकरण

01. प्रबंध संचालक को सामान्यतः प्रत्येक मद में वित्तीय नियंत्रण हेतु पूर्ण अधिकार होंगे। जिन कार्यों में स्पष्ट व्याख्या नहीं है उनमें भी प्रबंध संचालक को कार्य की आवश्यकता तथा महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उचित आधार पर नियमानुसार स्वीकृति देने का पूर्ण अधिकार होंगे।
02. प्राधिकारी जिन्हें कि अधिकार प्रदत्त है उसके नियमानुसार पालन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
03. प्रत्यायोजित मदों के अतिरिक्त ऐसे मद जिनका प्रत्यायोजित अधिकारों में उल्लेख नहीं है, आवश्यकता होने पर उन मदों में प्रबंध संचालक को पूर्ण अधिकार होंगे।

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार

क्र.	मद	प्राधिकारी जिसे अधिकार प्रत्यायोजित किए जाने है।	प्रत्यायोजन की सीमा	टिप्पणी
------	----	--	---------------------	---------

(फैजु अहमद किदवई) 12/7

प्रबंध संचालक

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल